राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या-33/ 2000

मनोहरी बनाम चिरमोली एवं अन्य

दिनांक-30.06.2011

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्री वी एस चौहान, अधिवक्ता- प्रार्थी की ओर से
श्री जे आर बिजारनिया, लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री एस एस यादव, अधिवक्ता-प्रत्यर्थी-अभियुक्तगण की ओर से

--

1. प्रार्थी मनोहरी द्वारा धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह निगरानी याचिका अपर सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी के निर्णय दिनांक 27.11.99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.94 को रामसिंह ने पुलिस थाना हिण्डौन सिटी में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 26.06.94 को प्रात: 10.00 बजे अभियुक्त चिरमोली इसके भाई मनोहरी के बबूल को काट रहा था तो मनोहरी की पत्नी प्रेम ने मना किया । इस पर चिरमोली ने कुल्हाड़ी की प्रेम के सिर में चोट पहुंचायी। चिरमोली ने अपने परिवार के अन्य लोगों को भी आवाज देकर बुला लिया जो हाथों में लाठी फरसे लेकर आये। उनसे प्रेम को बचाने के लिए मनोहरी व मनोहरी की लड़की शीला आये तो चिरमोली ने मनोहरी के सिर पर कुल्हाड़ी तथा मोती ने उसके सिर में उल्टी तरफ से फरसे से मारी व शीला के साथ भी मारपीट की जिसे सुबुद्धि, कैलासहाय और रामसहाय ने देखा । इस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , हिण्डौन सिटी के यहां अभियोग पत्र

प्रस्तुत किया। जहां से अन्वीक्षा हेतु प्रकरण सेशन न्यायालय को उपार्पित किया गया जहां अभियुक्तगण के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आरोप लगाये गये जिन्हें अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन ने अपने समर्थन में कुल 19 गवाह परीक्षित कराये। अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में चार गवाहों को परीक्षित कराया।

3. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, हिण्डौन सिटी ने समस्त साक्ष्य का विवेचन करते हुए पाया कि घटना मनोहरी के खेत में न होकर अभियुक्त चिरमोली के कब्जेशुदा खेत में हुई है जो नक्शा मौका प्रदर्श पी.1 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। किसी भी गवाह ने इस स्थिति का खण्डन नहीं किया है कि यह घटना अभियुक्त के खेत में हुई। घटना के बताये गये तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से कैलासहाय पेश ही नहीं हुआ है तथा पी.डब्ल्यू.12 रामसहाय पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पी.डब्ल्यू.2 सुबुद्धि का केवल यह कथन है कि चिरमोली ने मनोहरी व उसकी धर्मपत्नी प्रेम के कुल्हाड़ी से चोट मारी तथा मोती ने मनोहरी की लड़की के लाठी से चोट पहुंचायी। इसने चिरमोली के साथ उपस्थित अन्य अभियुक्तगण का कोई प्रत्यक्ष कृत्य तथा उनके पास कोई हथियार होना नहीं बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर अभियुक्त चिरमोली एवं मोती द्वारा ही मारपीट किया जाना प्रतीत होता है। आहत पी.डब्ल्यू.3 मनोहरी ने चिरमोली, मोती तथा बिजेन्द्र के पास हथियार होना तथा उनके द्वारा चोटें पहुंचाया जाना बताया है। अन्य अभियुक्तगण के पास हथियार होना व उनके द्वारा कोई विशिष्ट कृत्य किया जाना इस साक्षी ने कथन नहीं किया है। चिकित्सक पी.डब्ल्यू.9 डॉ. मीणा ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि मनोहरी, शीला व प्रेम के शरीर पर आयी चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि घटनास्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अवैध समूह बनाकर इसके सामान्य उद्धेश्य को अग्रसर करने में संयुक्त थे। यदि अभियुक्तगण अपने खेत में थे तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध

मनोहरी के खेत पर पेड़ काटने वाली बात सत्य प्रतीत नहीं होती। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति सिद्ध नहीं होने के कारण 147,148 व 149 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध नहीं होता। मारपीट सभी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के लोगों के साथ करना बताया गया है। यदि सब अभियुक्तगण मिलकर ऐसे घातक हथियारों से मारपीट करते तो निश्चित ही परिवादी पक्ष के कई लोगों के शरीर के मार्मिक भागों पर चोटें आतीं किन्तु हस्तगत मामले में कोई भी चोट ऐसी नहीं है। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार कोई चोट प्राणघातक नहीं है और न ही ये चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटों के सम्बन्ध में साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास है और यह कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन प्राप्त नहीं करते हैं। डॉक्टर के अनुसार मनोहरी के शरीर पर कुल 12 चोटें हैं जब कि गवाह सुबुद्धि के अनुसार उसके हाथ एवं सिर पर केवल दो चोटें। डॉक्टर ने शीला के शरीर पर चार चोटें बतायी हैं जब कि गवाह सुबुद्धि के अनुसार शीला के शरीर पर एक एक चोट चिरमोली द्वारा मारना बताया गया है। यही स्थिति प्रेम के सम्बन्ध में है, जिसके चिकित्सक के अनुसार पांच चोटें आयी हैं किन्तु सुबुद्धि के अनुसार चिरमोली के द्वारा उसके एक चोट कारित करना बताया गया है। मनोहरी के चोटों के बारे में भी साक्ष्य का विवेचन करते हुए न्यायालय ने इनमें तात्विक विरोधाभास पाये हैं और मनोहरी के जो 12 चोटें बतायी गयी हैं, स्वयं मनोहरी उनकी ताईद नहीं करती है। किस अभियुक्तगण के पास क्या हथियार थे, इस सम्बन्ध में साक्षियों के कथनों में भिन्नता है और अभियोजन का यह पक्ष स्वाभाविक नहीं लगता है कि फरसा हाथ में होने के बाद भी लगभग सभी अभियुक्त फरसे के उल्टे हिस्से की चोट ही परिवादी पक्ष के लोगों को पहुंचायें। सभी साक्षियों के कथनों का विवेचन करते हुए न्यायालय ने इसे विश्वसनीय नहीं पाया।

4. उक्त अपीलीय न्यायालय के अनुसार यह स्थिति समक्ष है कि अभियुक्तगण की ओर से भी क्रॉस केस दर्ज करवाया गया है और

घटना स्थल अभियुक्त चिरमोली का खेत है। क्रॉस केस का अवलोकन दर्शाता है कि मनोहरी, प्रेम व शीला के विरूद्ध धारा 144,447,341 भारतीय दण्ड संहिता में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श डी-1,डी-2 व डी-3 के अनुसार कमला, विजेन्द्र व चिरमोली के चोटें आयी हैं । इस सब स्थिति में न्यायालय का यह मत रहा है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की गयी है तो भी उनके द्वारा यह मारपीट आत्मरक्षा के अधिकार को व्यवहार में लाते हुए की गयी है। हमलावर पक्ष अभियोगी पक्ष ही है जिसने अभियुक्त चिरमोली के कब्जे शुदा खेत में प्रवेश कर उनके साथ मारपीट प्रारम्भ की। इस प्रकार समस्त साक्ष्य का विवेचन करते हुए न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 147, 307, 326, 324,323 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता सिद्ध न पाते हुए उन्हें आरोपित अपराधों से उन्मोचित किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् अभिभाषकगण तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों को विस्तार से सुना गया।

6. सुयोग्य लोक अभियोजक तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुई समस्त साक्ष्य का विस्तार से विवेचन कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जिसमें कोई भी विधिक त्रुटि नहीं है। उनके अनुसार घटना चिरमोली के खेत पर घटित हुई है। मारपीट के समय पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति सिद्ध नहीं हुई है। अभियोजन साक्षियों के कथन पूर्णत: विरोधाभासी होने के साथ साथ चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन प्राप्त नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त भी घटना 17 वर्ष से अधिक पुरानी है जिसके परिप्रेक्ष्य में किसी भी बिन्दु पर विचारण न्यायालय को मामला पुन: निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: निगरानी अस्वीकृत की जाये।

7. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी यह बताने में असफल रहे हैं कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 27.11.99 को पारित करने में विधि के किस प्रावधान या मूलभूत अधिकार या सुस्थापित विधि या विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। उनके द्वारा ऐसी भी स्थिति समक्ष नहीं लायी जा सकी है कि जिससे यह माना जा सके कि यह आदेश अमुक प्रकार से अवैध है या सारभूत त्रुटि लिये हुए है । यह विधि सुस्थापित है कि अभियुक्तगण की दोषमुक्ति के विरूद्ध परिवादी की ओर से प्रस्तुत निगरानी में न्यायालय को अपवादात्मक परिस्थितियों में तथा स्पष्टत: विधिक स्थिति या प्रक्रिया आदि का उल्लंघन होने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेना सम्भव है और ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की सम्भावना हो सकती है तो भी सामान्यत: विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में विनिर्णय उमराव बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य एस.सी.सी. 2006(10)-136 भी हमें यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि निगरानी के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में विधि का स्पष्ट उल्लंघन दर्शित न करने की स्थिति में तथा ठोस आधारों के बिना मामूली तौर पर एवं सामान्य अनुक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. हस्तगत मामले में उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण के तर्कों को सुनकर आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी समस्त साक्ष्य का पूरी तरह परीक्षण एवं विवेचन कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सिद्ध नहीं होने के कारण उन्हें दोषमुक्त किया है और ऐसे दोषमुक्ति के निर्णय में इस निगरानी के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने या इसे अपास्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन: निर्णय हेतु भिजवाये जाने का मैं कोई भी विधिसम्मत आधार नहीं पाता हूं।

9. फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी याचिका अस्वीकृत की जाती है। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापिस प्रेषित किया जावे।

(**न्या0 एस एस कोठारी**)

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."

अनिलशर्मा/ PS